

न्यायालय— व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, गोहद जिलाभिण्ड मध्यप्रदेशपीठासीन अधिकारी— केशव सिंहव्यवहार वाद कमांक 24.ए/2012संस्थापित दिनांक 12.11.2009

1. जयेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मणपाल सिंह
जादौन उम्र—30साल निवासी ग्राम सर्वा
तहसील, गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....वादी

बनाम

1. लक्ष्मण सिंह पुत्र जयराम पाल.....फौत
2. नरेन्द्रपाल सिंह पुत्र लक्ष्मणपाल सिंह
जादौन उम्र—35साल निवासी ग्राम गुलाब
पुरा तहसील सपोटरा जिला करौली
राजस्थान हॉल निवासी ग्राम चक सर्वा
तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0
3. म0प्र0 शासन द्वाराश्रीमान कलेक्टर भिण्ड म0प्र0
4. श्रीमती नीरज भदौरिया पत्नि रामदेव सिंह
भदौरिया उम्र—30साल निवासी माधवी नगर
गदायीपुरा, हजीरा ग्वालियर म0प्र0

..... प्रतिवादीगण

::— निर्णय—::(आज दिनांक 05/11/14को घोषित किया)

1. प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वत्व घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व विक्रयपत्र कमांक 5585 दिनांक 10/11/09 को शून्य कराने हेतु यह वाद प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि वादपत्र में वर्णित कृषि भूमि ग्राम चक सर्वा में स्थित है तथा प्रतिवादी क01 वादी का पिता है और प्रतिवादी क02 वादी का भाई है।

3. वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि भूमि सर्वे कमांक 206/1 रकवा 1.94 हेक्टेयर ग्राम चक सर्वा तहसील गोहद में स्थित है यही भूमि विवादित है। प्रतिवादी क01 को यह भूमि अपने पूर्वजों से प्राप्त भूमि है। प्रतिवादी क01 को ग्राम तुकेडा में लगभग 18 बीघा भूमि प्राप्त हुई थी। प्रतिवादी क01 द्वारा पैत्रिक भूमि तुकेडा का विक्रय कर के उससे प्राप्त प्रतिफल की राशि अपने नाम से उपरोक्त विवादित

सम्पत्ति ग्राम चक सर्वा में कय की थी क्योंकि प्रतिवादी क01 कर्ता खानदान है और कृषि भूमि पर दृश्यमान स्वामी के रूप में अंकित है। प्रतिवादी क01 लगभग 12 वर्ष पूर्व ग्राम चक सर्वा छोड़कर गुलाबपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान में जाकर रहने लगा है। प्रतिवादी क01 ने पारिवारिक व्यवस्थापन किया जिसके अनुसार उपरोक्त विवादित भूमि वादी के हिस्से में प्राप्त हुई है तथा वादी ने उस समय एकलाख रुपये नगद प्रतिवादी क01 को भुगतान कर दिया था तथा प्रतिवादी क01 ने वादी के हक में लिखित रूप से पारिवारिक व्यवस्थापन निष्पादित किया था तथा वादी पारिवारिक व्यवस्थापन के आधार पर उक्त विवादित सम्पत्ति में अपने हिस्से के बदले प्राप्त राशि से ग्राम गुलाबपुरा जिला करौली में सम्पत्ति कय कर ली है और स्थाई रूप से ग्राम गुलाबपुरा में निवास करने लगा है। विवादित सम्पत्ति से प्रतिवादीगण का कोई संबंध सरोकार नहीं है। वादी विवादित भूमि पर बहैसियत काविज होकर खेती करता चला आ रहा है और प्रतिवादीगण की जानकारी में 12 वर्षों से निरंतर कृषि कार्य करता चला आ रहा है। प्रतिवादी क01 द्वारा विवादित भूमि को प्रतिवादी क04 के हक में दिनांक 10/11/09 को विक्रय कर दिया है जो विक्रय बिना कृषि भूमि पर कब्जा दिये गये तथा बिना प्रतिफल प्राप्त किये गये विक्रयपत्र किया है जो वादी के मुकाबले शून्य है इसलिये वादी यह सहायता चाहता है कि विवादित भूमि का विक्रयपत्र कमांक 585 दिनांक 10/11/09 का वादी के मुकाबले प्रभावहीन होकर शून्य है तथा प्रतिवादीगण को निषेधित किया जावे कि वादी के स्वामित्व व आधिपत्य की विवादित भूमि में किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करे।

4. वादी की ओर से प्रस्तुत वादपत्र का जबाव प्रतिवादी क04 की ओर से प्रस्तुत कर यह अभिवचन किया है कि विवादित भूमि प्रतिवादी क01 की पैत्रिक भूमि नहीं है यह भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति है जिसका उसे विक्रय करने का पूर्ण वैधानिक स्वत्व प्राप्त है। प्रतिवादी क01 ने पनी आवश्यकताओं के लिये दिनांक 10/11/09 को पूर्ण प्रतिफल 13,88,000/-रुपये प्राप्त कर गवाहों के समक्ष प्रतिवादी क04 के हक में रजिस्टर्ड विक्रयपत्र सम्पादित करके कब्जा सौंप दिया है। तब से विवादित भूमि पर प्रतिवादिया का कब्जा है। प्रतिवादी क01 विवादित भूमि का दृश्यमान स्वामी नहीं था वह भूमि का वास्तविक स्वामी था। प्रतिवादी क01 ने विक्रयपत्र निष्पादित करते हुये प्रतिवादी क02 नरेन्द्रपाल की भी सहमति ली थी और रजिस्टर्ड विक्रयपत्र पर नरेन्द्रपाल के भी हस्ताक्षर है। वादी की ओर से प्रस्तुत लिखतम पारिवारिक व्यवस्थापन पूर्णतः फर्जी है। जिस पर प्रतिवादी क01 के हस्ताक्षर नहीं है और न ही प्रतिवादी क02 के हस्ताक्षर है। लिखतम पारिवारिक व्यवस्था पर दो अन्य लोग वीरेन्द्र सिंह एवं पटेल सिंह के हस्ताक्षर हैं, लेकिन व्यवस्थापन पंजीकृत भी नहीं है

और आज तक राजस्व अभिलेखों में कोई भी कार्यवाही नहीं की गई है। प्रतिवादी क01 विवादित भूमि का रिकॉर्डेड भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है उसके द्वारा किया गया विक्रयपत्र किसी भी दृष्टिकोण से दिखावटी व अधिकारविहीन नहीं है। अतः वादी का वाद सव्यय निरस्त किया जावे। वादी किसी प्रकार की सहायता पाने का पात्र नहीं है।

5. प्रतिवादी क02 ने दावे का जबाब प्रस्तुत कर लगभग संपूर्ण दावे को स्वीकार किया है।

6. प्रकरण में वादीगण की ओर से प्रस्तुत वादपत्र एवं उसके जबाब के आधार पर निम्नलिखित वादप्रश्नों की विरचना की गई जिनके सम्मुख मेरे निष्कर्ष अंकित है:-

वादप्रश्न

निष्कर्ष

- | | |
|--|-----------|
| 1. क्या विवादित भूमि प्रतिवादी क01 द्वारा अपनी पैत्रिक भूमि विक्रय कर कय की थी इसलिये विषयान्तर्गत भूमि प्रतिवादी क01 की पैत्रिक सम्पत्ति है।? | अप्रमाणित |
| 2. क्या प्रतिवादी क01 ने वादी से एक लाख रुपये प्राप्त कर वादी के हक में लिखित रूप से व्यवस्थापन कराया था? | अप्रमाणित |
| 3. क्या वादी ने पारिवारिक व्यवस्थापन के आधार पर उक्त विवादित सम्पत्ति अपने हिस्से के बदले में प्राप्त की थी इसलिये वादी विवादित भूमि का स्वामी होकर आधिपत्यधारी है? | अप्रमाणित |
| 4. क्या प्रतिवादी क01 व 2,12 वर्ष पूर्व से ग्राम चक सर्वा छोडकर गुलाबपुरा तहसील सपोटरा जिला करौली में निवासरत होकर विवादित भूमि पर मौके पर 12 वर्ष से अधिक समय से काविज नहीं है? | अप्रमाणित |
| 5. क्या प्रतिवादी क01 द्वारा बिना किसी वैध आधिपत्य के विवादित भूमि का विक्रय प्रतिवादी क04 के हक में किया है जो वादी पर बंधनकारक नहीं है इसकारण विक्रयपत्र कमांक 5585 दिनांक 10/11/09 वादी के मुकाबले व्यर्थ प्रभावहीन होकर शून्य है।? | अप्रमाणित |
| 6. क्या वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन किया है? | हाँ |
| 7. क्या वादी द्वारा उचित न्यायशुल्क अदा किया है? | हाँ |
| 8. क्या इस न्यायालय को सुनवाई हेतु वित्तीय क्षेत्राधिकारता प्राप्त नहीं है? | हाँ |
| 9. सहायता एवं वाद व्यय? निर्णय की कंडिका-28 के अनुसार | |

सकारण निष्कर्ष

7. प्रकरण में वादी की ओर से अपने पक्ष समर्थन में जयेन्द्रपाल सिंह वा0सा01, वीरेन्द्र सिंह वा0सा02, पटेल सिंह तोमर वा0सा03, उत्तम सिंह वा0सा04, देवेन्द्र सिंह वा0सा05, को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है। जबकि प्रतिवादीगण की ओर से श्रीमती नीरज सिंह प्र0सा01, सरदार सिंह प्र0सा02 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

वाद प्रश्न कमांक-1 निष्कर्ष के आधार

8. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। जिसके संबंध में जयेन्द्रपाल वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि ग्राम चक सर्वा तहसील गोहद जिला भिण्ड की भूमि सर्वे [क0206/1](#) रकवा 1.94 हेक्टेयर ग्राम चक सर्वा तहसील गोहद में स्थित है यह भूमि उसके पिता लक्ष्मणपाल सिंह ने ग्राम तुकेडा की पैत्रिक सम्पत्ति को बेचकर इस जमीन को खरीदा था। जब तक उसके बाबा विजयराम जीवित थे परिवार के कर्ता खानदान रहे उसके बाद उसके पिता लक्ष्मणपाल सिंह उसके परिवार के कर्ता खानदान रहे। कर्ता खानदान होने से पैत्रिक सम्पत्ति की आय से इस भूमि को खरीदा गया है। उक्त भूमि लक्ष्मण पाल सिंह के नाम से खरीदी गई थी। इस प्रकार विवादित भूमि उसकी पैत्रिक सम्पत्ति है। साक्षी के कथनों का समर्थन उत्तम सिंह सिकरवार वा0सा04 के द्वारा भी किया गया है। इस साक्षी का भी शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन है कि वादी के पिता लक्ष्मणपाल सिंह ने अपने पूर्वजों की जमीन जो ग्राम तुकेडा में थी को बेचकर ग्राम चक सर्वा की उक्त भूमि को खरीदा था। जयेन्द्रपाल सिंह, लक्ष्मणपाल सिंह का छोटा बेटा है तथा नरेन्द्रपाल सिंह बड़ा बेटा है। वादपत्र के कथनों का समर्थन देवेन्द्र सिंह वा0सा05, के द्वारा भी किया गया है। इस साक्षी ने अपनी शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि 09 बीघा 14 विस्वा की भूमि वादी के पिता द्वारा अपने पूर्वजों से प्राप्त तुकेडा की जमीन को बेचकर खरीदी थी।

9. वादी साक्षी के कथनों के विपरीत प्रतिवादी साक्षी श्रीमती नीरज सिंह भदौरिया प्र0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि विवादित भूमि सर्वे कमांक [206/1](#) रकवा 1.94 लक्ष्मणपाल सिंह भूमि स्वामी थे। लक्ष्मणपाल सिंह का भूमि पर कब्जा था और यह भूमि स्वअर्जित सम्पत्ति थी जिनकी उनके पास ऋण अधिकार पुस्तिका भी थी और राजस्व अभिलेखों में उनका नाम भी अंकित था।

10. प्रकरण में इस प्रकार विवादित तथ्य यह है कि क्या यह भूमि

लक्ष्मणपाल सिंह द्वारा अपने पिता की भूमि को विक्रय कर कय की है । इस संबंध में वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि लक्ष्मणपाल सिंह के द्वारा अपने पिता की भूमि को विक्रय किया है । ऐसा भी कोई साक्षी पेश नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि विवादित भूमि जो लक्ष्मणपाल सिंह के पिता द्वारा विक्रय की गई थी वह किसी व्यक्ति को विक्रय की है । पैत्रिक भूमि विक्रय की है इसके संबंध में न्यायालीन अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी क01 लक्ष्मणपाल सिंह द्वारा जो भूमि विक्रय की है वह भूमि प्रतिवादी क01 की पैत्रिक सम्पत्ति नहीं कही जा सकती। वादी को प्रमाणित करने के लिये ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना चाहिये था जो यह दर्शाता है कि वादी के पिता ने पैत्रिक भूमि किस के पक्ष में विक्रय की और किस सर्वे नम्बर की कितनी भूमि विक्रय की ऐसा दस्तावेज या साक्ष्य वादी के पक्ष में नहीं है इसलिये वादी यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि विक्रय की गई भूमि पूर्वजों की सम्पत्ति को बेचकर कय की थी इसलिये यह सम्पत्ति पैत्रिक सम्पत्ति है । अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है।

वाद प्रश्न क्रमांक-2 निष्कर्ष के आधार

11. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादी पर है जिसके संबंध में जयेन्द्रपाल सिंह वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि उसके पिता लक्ष्मणपाल सिंह तथा भाई नरेन्द्रपाल सिंह ग्राम चक सर्वा छोड़कर ग्राम गुलाबपुरा जिला करौली राजस्थान में जाकर रहने लगे थे। उस समय उसके पिता लक्ष्मणपाल सिंह ने अपनी मर्जी से पारिवारिक व्यवस्थापन किया था। पारिवारिक व्यवस्थापन में ग्राम चक सर्वा की उक्त भूमि उसे अकेली प्राप्त हुई थी। अर्थात् व्यवस्थापन में उक्त भूमि उसे अकेले दी गई थी उसके बदले उसने एक लाख रुपये अपने पिता लक्ष्मणपाल सिंह को दिये थे। जिसके संबंध में लिखतम पारिवारिक व्यवस्थापन किया गया था जो प्र0पी08 का है।

12. पारिवारिक व्यवस्थापन प्र0पी08 का अवलोकन करें तो उसमें इस बात का उल्लेख है कि जयेन्द्रपाल सिंह से प्रतिवादी क01 ने जमीन को बेचकर एक लाख रुपये नगद प्राप्त कर लिये हैं और पारिवारिक व्यवस्थापन एक सादे कागज पर होकर न तो वह पंजीकृत है और न ही प्रमाणीकृत है एक लाख रुपये वादी ने प्रतिवादी क01 को अदा किया । इस संबंध में कोई सुदृण साक्ष्य वादी के पक्ष में नहीं है न ही ऐसा कोई दस्तावेज है जो एक दर्शाता है कि प्रतिवादी क01 ने व्यवस्थापन के बदले एक लाख रुपये नगद प्राप्त किये थे। अपने वाद को प्रमाणित करने का भार वादी पर था लेकिन वादी की ओर से ऐसा कोई सुदृण साक्ष्य

प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाती हो कि व्यवस्थापन के बदले प्रतिवादी क01 ने एक लाख रुपये नगद प्राप्त किये थे। अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वाद के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है।

वाद प्रश्न कमांक-3निष्कर्ष के आधार

13. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादी पर है। जिसके संबंध में जयेन्द्रपाल सिंह वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि उसके पिता लक्ष्मणपाल सिंह ने अपनी मर्जी से पारिवारिक व्यवस्थापन में ग्राम चक सर्वा की उक्त भूमि उसे अकेले प्राप्त हुई थी अर्थात् व्यवस्थापन की उक्त भूमि उसे अकेले दी गई थी। जिसके संबंध में पारिवारिक व्यवस्थापन लिखा गया था। पारिवारिक व्यवस्थापन प्र0डी08 का है तथा देवेन्द्र सिंह वा0सा05 ने भी शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि लक्ष्मणपाल सिंह ने अपने छोटे लडके जयेन्द्रपाल सिंह के नाम यह भूमि की थी। जिसके संबंध में पंचनामा लिखा गया था और दावा वाली भूमि जयेन्द्रपाल सिंह को अकेले दी थी।

14. वीरेन्द्र सिंह वा0सा02 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि 15,16 साल पहले जब लक्ष्मणपाल सिंह और नरेन्द्रपाल सिंह ने ग्राम चक सर्वा छोड़ा था तब उन्होंने पारिवारिक व्यवस्थापन किया था पारिवारिक व्यवस्थापन अनुसार ग्राम चक सर्वा की 09 बीघा 14 विस्वा कृषि भूमि अपने छोटे बेटे जयेन्द्रपाल सिंह के नाम अकेले दी थी तथा उसके बदले लक्ष्मणपाल सिंह से जयेन्द्रपाल सिंह ने एक लाख रुपये प्राप्त किये थे जिसकी लिखा पढी उसके भाई पटेल सिंह के नाम लक्ष्मण सिंह ने अपनी इच्छा से की थी तथा लक्ष्मण सिंह के कहने पर पारिवारिक व्यवस्थापन लिखा गया था। जिसे लक्ष्मणपाल सिंह ने सुनकर समझकर उस पर उसके सामने हस्ताक्षर किये थे तथा गवाहीं के रूप में साक्षी व उसके भाई पटेल के हस्ताक्षर है।

15. पटेल सिंह वा0सा03 के द्वारा भी शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि लक्ष्मणपाल सिंह ने पारिवारिक व्यवस्थापन अपनी मर्जी से ग्राम चक सर्वा की भूमि का छोटे लडके जयेन्द्रपाल सिंह के हक में किया था जिसका पारिवारिक व्यवस्थापन की लिखा पढी उसके सामने हुई थी पारिवारिक व्यवस्थापन लक्ष्मणपाल सिंह के कहने पर और बताने पर टाईप वाले ने लिखा था तथा लक्ष्मणपाल सिंह ने पारिवारिक व्यवस्थापन पर अपने हस्ताक्षर किये थे। गवाह के रूप में साक्षी व उसके भाई वीरेन्द्र सिंह ने हस्ताक्षर किये थे।

16. वादी ने अपने पक्ष समर्थन में धारा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस प्र0पी01,कलेक्टर को भेजी गई रसीद प्र0पी02,अनुविभागीय

अधिकारी पुलिस गोहद के द्वारा की गई जांच के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी03,अपासी की रसीद प्र0पी04,मृत्यु प्रमाणपत्र प्र0पी05,दिनांक 10/11/09 का विक्रयपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र0पी06,लक्ष्मणपाल सिंह द्वारा रामदास को किया गया विक्रयपत्र प्र0पी07,लिखतम पारिवारिक व्यवस्थापन प्र0पी08 का प्रस्तुत किया है।

17. प्रकरण में प्रतिवादी साक्षी श्रीमती नीरज सिंह प्र0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया हैकि वादी लक्ष्मणपाल सिंह का पुत्र है उसने फर्जी व्यवस्थापन बनाकर झूठा दावा उसके विरुद्ध पेश किया है।जबकि लक्ष्मणपाल सिंह उक्त भूमि के भूमि स्वामी थे सरदार सिंह तोमर प्र0सा02 के द्वारा भी शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया हैकि जयेन्द्रपाल ने बिल्कुल झूठे तथ्यों के आधार पर यह दावा पेश किया है।

18. प्रकरण में वादी जयेन्द्रपाल सिंह के कथनों का समर्थन प्रतिवादी क02 नरेन्द्रपाल सिंह के द्वारा जबावदावा पेश कर यह समस्त तथ्य को स्वीकार करते हुये यह स्वीकार किया हैकि उसके पिता लक्ष्मण पाल सिंह द्वारा जयेन्द्रपाल सिंह के हक में व्यवस्थापन निष्पादित किया था। जबकि प्रतिवादी की ओर से प्रस्तुत प्र0डी01 का अवलोकन करें तो उसके अवलोकन से यह दर्शित होता हैकि लक्ष्मणपाल सिंह द्वारा श्रीमती नीरज सिंह के हक दिनांक 10/11/09 को विवादित भूमि का विक्रय किया है और विक्रय पर नरेन्द्रपाल सिंह के सहमति के हस्ताक्षर है। जिसे जयेन्द्रपाल सिंह द्वारा भी अस्वीकार नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में नरेन्द्रपाल सिंह प्रतिवादी क02 की ओर से प्रस्तुत जबावदावा यह दर्शाता हैकि नरेन्द्रपाल सिंह ने प्रतिवादी क04श्रीमती नीरज भदौरिया से पैसे प्राप्त कर वादी जयेन्द्रपाल सिंह जो प्रतिवादी क02 का भाई है के हक में दुरिभ संधि कर जबावदावा प्रस्तुत किया है जिससे यह दर्शित नहीं होता हैकि प्रतिवादी की ओर से व्यवस्थापन को वास्तविक रूप से स्वीकार नहीं किया गया है।

19. प्रकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेज लिखतम पारिवारिक व्यवस्थापन प्र0डी08 का है जिसके आधार पर ही वादी जयेन्द्रपाल अपने आपको भूमि का स्वामी व मालिक बताता है। प्र0डी08 का लिखतम व्यवस्थापन न तो पंजीकृत है और न ही प्रमाणीकृत किया गया है। यह व्यवस्थापन एक सादे कोरे कागज पर है जिसके संबंध में प्रतिवादी क04 की ओर से यह तर्क दिया गया हैकि यह फर्जी होकर उस पर लक्ष्मणपाल के हस्ताक्षर बनाये गये है। प्र0पी08 के दस्तावेज के साक्षी वीरेन्द्र सिंह वा0सा02,व पटेल वा0सा03 दोनों ही साक्षी जयेन्द्रपाल सिंह के ससुर है जिनमें आपसी घनिष्ठ रिश्ते है पटेल तोमर ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-5 में यह स्वीकार किया है कि व्यवस्थापन की पूरी लिखा पढी कचहरी में

हुई थी स्टाम्प खरीदा गया था वयनामा नहीं किया गया था जिससे यह दर्शित होता है कि साक्षी को इस तथ्य का ज्ञान नहीं है कि व्यवस्थापन कोरे कागज पर लिखा गया है अथवा स्टाम्प पर लिखा गया है । जिससे यह दर्शित है कि साक्षी समस्त तथा अपने रिश्तों के आधार पर वादी के पक्ष में कथन दे रहे है ।

20. प्रकरण में जहा तक व्यवस्थापन की सत्यता के संबंध में प्रश्न है तो वादी ने इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि भूमि विक्रय के समय लक्ष्मणपाल सिंह का नाम राजस्व अभिलेखों में स्वामित्व की हैसियत से अंकित नहीं था वास्तविकता यह है कि अगर वास्तव में व्यवस्थापन की लिखा पढी हुई थी तो वादी द्वारा इन 14 वर्षों के अन्तराल के दौरान व्यवस्थापन के आधार पर भूमि को अपने नाम पर नामान्तरण करना व राजस्व अभिलेखों में अपने नाम को अंकित कराने की कार्यवाही क्यों नहीं की गई जिससे यह दर्शित होता है कि वादी द्वारा फर्जी व कूटरचित लिखतम व्यवस्थापन रजिस्टर्ड व्यवस्थापन विक्रय पत्र के पश्चात तैयार किया गया ।

21. प्रकरण में महत्वपूर्ण दस्तावेज पारिवारिक व्यवस्थापन प्र0पी08 है जो न तो प्रमाणित है ओर न ही प्रमाणीकृत है न ही किसी साक्षी के कथनों से सुदृण रूप से प्रमाणित किया गया है । ऐसी स्थिति में पारिवारिक व्यवस्थापन अपने आपमें प्रमाणित नहीं कहा जा सकता । वादी की ओर से इस संबंध में न्याय दृष्टांत चौधरी छत्तर सिंह आदि बनाम हर्ष कुमार कुमार आदि जे0एल0जे02009{3} का प्रस्तुत किया है जिसमें माननीय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि संयुक्त हिन्दू कुटुम्ब का पिता अपने जीवनकाल में किसी भी समय विभाजन का अधिकार रखता है । परन्तु यह तब जब कि वह अपने पुत्रों में अपनी पैत्रिक सम्पत्ति में समान अंश देता है लेकिन इस प्रकरण में वादी की ओर से इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है । उसे समान अंश प्राप्त हुआ था अथवा असमान अंश प्राप्त हुआ था इसलिये न्याय दृष्टांत प्रकरण की परिस्थितियों को भिन्न होते हुये वादी को कोई लाभ नहीं पहुंचता है ।

22. प्रकरण में वादी लिखतम व्यवस्थापन प्र0पी08 को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है । उक्त व्यवस्थापन लक्ष्मणपाल सिंह जादौन द्वारा वादी के हक में तैयार किया गया था । अतः वादी के हक में लिखतम व्यवस्थापन प्रमाणित न होने के कारण विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है ।

वाद प्रश्न कमांक-4 निष्कर्ष के आधार

23. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादी पर

है जिसके संबंध में जयेन्द्रपाल सिंह वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि उसके पिता लक्ष्मण सिंह व उसके पिता नरेन्द्रसिंह लगभग 15,16 साल पहले ग्राम चक सर्वा छोड़कर गुलाबपुरा जिला करौली राजस्थान में रहने लगे थे। वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज अथवा सुदृण साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जो यह दर्शाता है कि लक्ष्मणपाल सिंह व नरेन्द्रपाल सिंह 15,16 साल पहले ग्राम चक सर्वा छोड़कर गुलाबपुरा जिला करौली राजस्थान में रहने चले गये थे। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर उसके पिता लक्ष्मणपाल सिंह का नाम अंकित है। साक्षी देवेन्द्र सिंह वा0सा05 ने भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में यह स्वीकार किया है कि राजस्व कागजात में लक्ष्मण सिंह भूमि स्वामी के रूप में अंकित थे। इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि लक्ष्मणपाल सिंह 12 वर्ष पूर्व ग्राम चक सर्वा छोड़कर गुलाबपुरा जिला करौली राजस्थान में रहने चले गये थे क्योंकि लक्ष्मण पाल सिंह का राजस्व अभिलेखों में अंकित नाम यह दर्शाता है कि लक्ष्मणपाल सिंह विवादित भूमि का वास्तविक स्वामी था और संयुक्त हिन्दू परिवार के अनुसार जयेन्द्रपाल सिंह का कब्जा भी यह नहीं दर्शाता है कि विरोधी आधिपत्य के आधार पर सम्पत्ति के स्वत्व अर्जित कर सकता है। संयुक्त सम्पत्ति पर हर समय कब्जा संयुक्त हिन्दू स्वामी का रहता है। जबकि लक्ष्मणपाल सिंह विवादित भूमि का वास्तविक स्वामी था इसलिये यह नहीं माना जा सकता कि विवादित भूमि पर 12 वर्ष से अधिक समय से लक्ष्मणपाल सिंह का कब्जा नहीं था। अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है।

वाद प्रश्न क्रमांक-5 निष्कर्ष के आधार

24. विचारणीय वाद विषय को प्रमाणित करने का भार वादी पर है जिसके संबंध में जयेन्द्रपाल सिंह वा0सा01 ने शपथपत्रीय साक्ष्य पर यह कथन दिया है कि उसके पिता लक्ष्मणपाल सिंह ने गलत रूप से जमीन को दिनांक 10/11/09 को श्रीमती नीरज भदौरिया को वयनामा कर दिया है। नीरज भदौरिया को जमीन का कब्जा नहीं दिया गया है। नीरज भदौरिया ग्वालियर की रहने वाली है। उन्होंने इस जमीन पर कभी भी किस प्रकार से खेती नहीं की है। उसके पिता लक्ष्मणपाल सिंह एवं भाई नरेन्द्रपाल सिंह ने इस जमीन का वयनामा उप पंजीयक कार्यालय गोहद में न करते हुये उप पंजीयक महोदय भिण्ड के यहां किया था। उन्होंने बिना किसी अधिकार एवं कब्जा से गलत रूप से वयनामा किया है जो वादी के मुकाबले व्यर्थ एवं प्रभावहीन है वादी द्वारा विक्रयपत्र प्र0डी01 को वयनामा एवं प्रभावहीन होना बताया है। लेकिन साक्षी ने प्रतिपरीक्षण की कंडिका-7 में यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि के स्वामी के रूप में उसे पिता लक्ष्मणपाल सिंह का नाम अंकित था। ऐसी स्थिति में जब

विवादित भूमि पर प्रतिवादी क01 का नाम भूमि स्वामी के रूप में अंकित हो तथा लक्ष्मणपाल सिंह उक्त भूमि का वैध स्वामी हो उस स्थिति में विक्रयपत्र को व्यर्थ व शून्य नहीं कहा जा सकता। सम्पत्ति अन्तरण अधिनियम के अनुसार क्रेता का यह दायित्व है कि वह अपनी समस्त दस्तावेज का निरीक्षण करें। प्रतिवादी क04 के द्वारा भी दस्तावेज के निरीक्षण उपरांत यह पाया गया कि प्रतिवादी क01 भूमि का वास्तविक स्वामी व मालिक है। ऐसी स्थिति में उसके द्वारा कय की गई सम्पत्ति विधिवत रूप से कय की है और उसने अपने कर्तव्यों का पूर्णतः निर्वाहन किया है। विवादित भूमि पर प्रतिवादी क01 विधिक रूप से राजस्व कागजातों में स्वामी अंकित था इसलिये प्रभावहीन नहीं कहा जा सकता। अतः विचारणीय वाद विषय का निराकरण वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से किया जा रहा है।

वाद प्रश्न क्रमांक-6 निष्कर्ष के आधार

25. विचारणीय वाद विषय विधि व तथ्य का मिश्रित वाद विषय है। जिसके संबंध में प्रतिवादीगण की ओर से यह तर्क दिया है कि वादी ने वाद का उचित मूल्यांकन नहीं किया है जबकि वादी द्वारा विवादित सम्पत्ति के लगान के 20 गुना के अनुसार दावा का मूल्य कायम किया है। चूंकि दावा स्वत्व घोषणा का है और घोषणा हेतु निर्धारित न्यायशुल्क का वादी द्वारा भुगतान किया गया है। ऐसी स्थिति में वादी के द्वारा किया गया मूल्यांकन को अनुचित नहीं कहा जा सकता। अतः वादी के द्वारा किया गया वाद का मूल्यांकन उचित व प्रमाणित है।

वाद प्रश्न क्रमांक-7 निष्कर्ष के आधार

26. विचारणीय वाद विषय विधि व तथ्य का मिश्रित वाद विषय है जिसके संबंध में प्रतिवादी क04 की ओर से यह आपत्ति ली है कि वादी के पिता लक्ष्मण सिंह द्वारा 1,38,800/- रुपये में भूमि का विक्रयपत्र किया है और उक्त विक्रयपत्र को अपास्त कराने की प्रार्थना न्यायालय से चाही गई है। लेकिन विक्रयपत्र के अनुसार वाद मूल्य कायम नहीं किया है और न ही 1,38,800/- रुपये के अनुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है। प्रकरण के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादी विक्रयपत्र का पक्षकार नहीं है इसलिये वादी के विक्रयपत्र अनुसार न्यायशुल्क चस्पा करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता। वादी के द्वारा स्वत्व घोषणा एवं विक्रयपत्र को प्रभावहीन शून्य घोषित किये जाने की प्रार्थना चाही है जिसके अनुसार न्यायशुल्क अदा किया गया है जो अपने आपमें प्रमाणित है।

वाद प्रश्न कमांक-8निष्कर्ष के आधार

27. विचारणीय वाद विषय विधि व तथ्य का मिश्रित प्रश्न है जिसके संबंध में प्रतिवादी की ओर से यह आपत्ति ली गई है कि वादी ने 1,38,800/-मूल्य का विक्रयपत्र अपास्त कराने की प्रार्थना चाही है इसलिये इस न्यायालय को वित्तीय विचार अधिकार न होने से दावा निरस्त किया जावे । इस प्रश्न के संबंध में यहां यह स्पष्ट कर देना उचित रहेगा कि यह बाद माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेशानुसार अन्तरण होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अन्तरण पर निराकरण हेतु प्राप्त कोई भी वाद अथवा प्रकरण वित्तीय क्षेत्राधिकार की श्रेणी में नहीं आता है क्योंकि यह भी अन्तरण पर प्राप्त हुआ है। इसके अतिरिक्त इस न्यायालय को वर्तमान में वित्तीय क्षेत्राधिकार की सुनवाई 10 लाख रुपये से एक करोड़ तक है। ऐसी स्थिति में भी वित्तीय सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रभावित नहीं होता है इसलिये प्रतिवादी द्वारा ली गई आपत्ति निरस्त की जाती है।

वाद प्रश्न कमांक-9निष्कर्ष के आधार

28. प्रकरण में भिन्न-भिन्न चरणों में की गई विवेचना के दौरान वादी अपने वाद को प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा हैं। अतः वादी का वाद निरस्त किया जाता है । अतः निम्न आशय की आज्ञा पारित की जाती है:-

1. वादी का वाद निरस्त किया जाता है।
2. वादी कोई सहायता पाने का पात्र नहीं पाया गया।
3. वाद का व्यय वादी अपना एवं प्रतिवादी काबहनकरेगा।
4. अधिवक्ता शुल्क प्रमाणित होने की दशा में तालिका अनुसार जो भी न्यून हो देय होगी।
तदानुसार जयपत्र की रचना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टाईप किया।

हस्ता0सही
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद, जिला भिण्ड

हस्ता0सही
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-1
गोहद, जिला भिण्ड